भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3806
17 मार्च, 2020 को उत्तर देने के लिए

प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात

3806. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत दुनिया में खाद्य का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन विश्व स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अभाव के कारण सेब, खुबानी, आड़ू, चेरी, नाशपाती और चावल उत्पादन में इसकी घरेलू क्षमता के बावजूद वैश्विक खाद्य निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): भारत अधिकांश प्रमुख कृषि एवं मैरीन उपजों/उत्पादों में विश्व में प्रायः पहले तीन स्थानों पर है जो विश्व के उत्पादन का 79.41% बनता है, जिनमें से प्रमुख हैं: भैंस के दूध उत्पादन में (70.27%), भैंस के दूध के घी उत्पादन (79.41%), गाय के दूध के घी और बटर उत्पादन (57.18%), भैंस मांस उत्पादन (42.17%) और चावल/धान उत्पादन (21.43%), गेहूं उत्पादन (12.48%), आलू उत्पादन (11.62%), शुष्क प्याज उत्पादन (20.84%), टमाटर उत्पादन (10.39%), चाय उत्पादन (21.03%) के साथ पहले तथा मछली उत्पादन (7%) के साथ दूसरे स्थान पर है । फिर भी, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक उदीयमान क्षेत्र है जिसका प्रसंस्करण स्तर 6.76% है और वैश्विक खाद्य निर्यात का केवल 2.31% ही बनता है ।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण के हिस्से को बढ़ाने और अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य प्रसंस्करण की संपूर्ण मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के साथ मजबूत आधुनिक अवसंरचना सुनिश्चित करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को तेज गति प्रदान करने के लिए सरकार प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें चला रही है । देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य अनेक कदम/किए गए उपाय/नीतिगत पहलों में खाद्य उत्पादों के निर्माण में स्वतः अनुमोदन के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत में उत्पादित और/अथवा निर्मित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-वाणिज्य के माध्यम से व्यापार सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकार के अनुमोदन के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं/यूनिटों को वहनीय ऋण देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए के विशेष कोष का सृजन, खाद्य एवं कृषि-आधारित प्रसंस्करण यूनिटों, शीतागार यूनिटों/शीतागार श्रृंखलाओं को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाना, 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्न-ओवर वाले किसान उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि को फसलोत्तर मूल्यवर्धन जैसे कार्यकलापों से प्राप्त हुए लाभ पर आयकर से 100% छूट, 5 वर्षों की अवधि के लिए नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों हेतु आयकर से 100% छूट, शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन पर हुए पूंजी व्यय के लिए 100% कटौती, परियोजना आयात लाभ स्कीम के अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क देना शामिल हैं ।

सरकार कृषि खाद्य उत्पादों सहित निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 'ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस)', 'मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स (एमएआई) स्कीम' चला रही है । यह कृषि उत्पादों के निर्यात तथा उनके विपणन के लिए माल भाड़ा हानि को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय माल भाड़ा घटक के लिए सहायता देने हेतु केंद्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम-' परिवहन एवं विपणन विशिष्ट कृषि उत्पाद सहायता स्कीम' भी चला रही है । इसके अलावा, कृषि निर्यातों जिनमें प्रसंस्कृत कृषि खाद्य उत्पाद शामिल हैं, को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने "भारत को कृषि में एक वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करना" के विजन के साथ एक व्यापक कृषि निर्यात नीति तैयार की है ।

*****